पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

2015 का आपराधिक विविध सं० 40168

वर्ष 2015 के थाना वाद सं० 20, थाना-परिवाद वाद, जिला- जमुई।

==========

1. मो. लैकुद्दीन एवं एक अन्य, पुत्र- स्वर्गीय मो० रफिकुद्दीन
2. मो० अतिकुद्दीन, पुत्र- स्वर्गीय मो० रफिकुद्दीन, दोनों मोहल्ला के निवासी-भैंसासुर, काशी तकिया, थाना-लाहिरी, जिला- नालंदा

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य और अन्य
2. साजिद अली उर्फ सन्नी, पुत्र- मो० मतीन अलि, गाँव के निवासी- पैथन चौक, पुरानी बाजार, जमुई, थाना एवं जिला- जमुई

.... विरोधी पक्ष/गण

==========

- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-असाधारण शक्ति का प्रयोग-कानून के सिद्धांत और मामलों की श्रेणियां जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। (इस पर निर्भरताः- हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य ने 1992 सप्लीमेंट (1) सुप्रीम कोर्ट के मामलों 335 में रिपोर्ट किया।
- भारतीय दंड संहिता-धारा 323-धारा 504-धारा 34-हमले और दुर्व्यवहार के संबंध में आरोप बहुत सामान्य और सर्वव्यापी दिखाई दे रहे हैं, जबकि शिकायत याचिका के माध्यम से उठाए गए मुख्य आरोप, विशेष रूप से घर में अतिक्रमण के बारे में, प्रथम दृष्टया, विद्वत निचली अदालत द्वारा अविश्वास पाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता नं. की बेटी के रूप में वैवाहिक कलह के कारण। 1, शिकायतकर्ता के भाई के खिलाफ वैवाहिक कलह के लिए एक पुलिस मामला दर्ज किया गया, एक जवाबी उपाय होने के कारण, वर्तमान शिकायत मामला दर्ज किया गया था। तदनुसार, पैरा एन. ओ. एस. में उल्लिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए। भजन लाल मामले के 1,5 और 7 (ऊपर)। आवेदन की अनुमति-संज्ञान लेते हुए आदेश देना और पर्याप्त कार्यवाही को दरकिनार करना। (पैरा-6 से 9)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

2015 का आपराधिक विविध सं० 40168

वर्ष 2015 के थाना वाद सं० 20, थाना-परिवाद वाद, जिला- जमुई।

==========

1. मो. लैकुद्दीन एवं एक अन्य, पुत्र- स्वर्गीय मो० रफिकुद्दीन
2. मो० अतिकुद्दीन, पुत्र- स्वर्गीय मो० रफिकुद्दीन, दोनों मोहल्ला के निवासी-भैंसासुर, काशी तकिया, थाना-लाहिरी, जिला- नालंदा

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य एवम अन्य
2. साजिद अली उर्फ सन्नी, पुत्र- मो० मतीन अलि, गाँव के निवासी- पैथन चौक, पुरानी बाजार, जमुई, थाना एवं जिला- जमुई

.... विरोधी पक्ष/गण

==========

रूपः

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री मोहम्मद सूफ्यान,
विरोधी पक्ष/दलों के अधिवक्ता		:डॉ. अजीत कुमार, एपीपी
ओ. पी. नंबर 2 के लिए	:	श्री अब्दुल मन्नान खान, अधिवक्ता
		:श्री हाफ़िज़ शाहबाज़ आरिफ, अधिवक्ता

==========

कोरमःमाननीय न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीखः11-03-2024

1. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान क्रुआशिंग याचिका विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, जमुई द्वारा 2015 के परिवादी वाद सं० 20 सी मे दिनांकित 02.03.2015 के संज्ञान आदेश को रद्द करने हेतु दायर कि गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के धाराएँ 323 एवं 504/34 के तहत संज्ञान लिया गया है।

3. शिकायत याचिका के सार से यह प्रतीत होता है कि एक मो० साजिद अली उर्फ सन्नी ने 05.01.2015 को सीजेएम, जमुई के समक्ष 25.12.2014 को एक घटना का

आरोप लगाते हुए अप.दं.सं. की धारा 202 के तहत एक शिकायत मामला दर्ज किया, जिसके आधार पर दं.प्रं.सं. की धारा 202 की तहत जांच के बाद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आगे यह आरोप लगाया गया है कि उसके भाई वारिस अली की शादी आरोपी नजनीन परवीन के साथ 08.08.2014 को हुई थी, लेकिन उस शादी में आरोपी ने अपने भाई को धोखा दिया और उनके द्वारा दिखाई गई लड़की के साथ निकाह नहीं किया गया, बल्कि उस कारण से उसने उसे 30.08.2014 को पर तलाक दे दिया और परिवार अदालत में मामला भी दायर किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त कारण से सभी आरोपी व्यक्ति उसके घर आए, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर हमला किया और इस बीच नजनीन परवीन और राबिया खातून उसकी माँ के कमरे में घुस गए और नकदी और गहने ले गए और आरोपी लाकुद्दीन और अतीकुद्दीन (दोनों याचिकाकर्ता) ने चाकू की नोक पर खाली कागज पर उसके हस्ताक्षर ले लिए।

4. विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि इस शिकायत मामले से पहले याचिकाकर्ता नं. 1 ने सूचना देने वाले के भाई वारिस अली के साथ शादी की, जहां 24.09.2014 को 2014 का महिला (नालंदा) थाना केस नंबर 57 के रूप में प्रतिकारात्मक मामला दर्ज किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता के भाई ने याचिकाकर्ता सं॰1 विधि न्यायालय के समक्ष, जिसे निरपेक्ष घोषित करने से इनकार कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके ठीक बाद प्रतिकारात्मक कार्रवाई के रूप में, वर्तमान झूठी शिकायत का मामला दर्ज किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान गुप्त शिकायत याचिका और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से है जिससे मुखबिर, पत्नी और उसके परिवार के सदस्य उपरोक्त पुलिस मामले में समझौता करने के लिए मजबूर होते हैं। यह आगे बताया गया है कि हमला और दुर्व्यवहार का आरोप सामान्य और सर्वव्यापी है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान शिकायत भा.दं.सं. की हैसियत से धारा 457, 380, 384, 323, 504 और 427 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दायर की गई थी, जहां आरोप को अविश्वास, *प्रथम दृष्टया* और बहुत ही यांत्रिक तरीके से संज्ञान लिया गया था। वह आगे भी भा॰दं॰सं॰ की धारा 323 और 504 के तहत दंडनीय अपराध। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अपने आधार पर घर में अतिक्रमण के संबंध में शिकायत याचिका के माध्यम से उठाया गया मुख्य आरोप और इस प्रकार भा.दं.सं. की धारा 323 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लेना बेतुका प्रतीत होता है और इस तरह इसे खारिज किया जा सकता है और तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में अलग नहीं रखा जा सकता है।

5. विद्वान सहा.लोक.अभि. जो परिवादी के वकील के साथ विधिवत मदद किए थे कि वर्तमान आवेदन के प्रस्तुतीकरण हेतु भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत कोई जख्म

प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि दुर्व्यवहार के बिंदु पर एवं जाँच गवाह के हमले, परिवादी को शामिल करते हुए निरंतर रूप से परिवादी में शामिल है, पूरे जाँच के दौरान एवं इस तरह विवाहित आदेश में बाधा न हीं करना चाहते हैं।

6. ***1992 पूरक (1) सर्वोच्च न्यायालय के वाद 335, में प्रतिवेदित हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजनलाल एवं अन्य मामले में शीर्ष न्यायालय*** के निर्णय के कंडिका 102 को पुनः प्रस्तुत करना उचित भी होगा, जिसे इस प्रकार पढ़ा गया हैः

> *" 102. अध्याय **XIV** के तहत विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की पृष्ठभूमि में या संहिता की धारा 482 के तहत संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के असाधारण शक्ति के श्रृंखला का प्रयोग कानून के सिद्धांत एवं जिसका निचोड हमने निकाला है एवं ऊपर में पुनः प्रस्तुत किया है, हम निम्नलिखित श्रेणियों के वादों को उद्धारणार्थ प्रस्तुत किया है जहां ऐसी शक्ति का प्रयोग दुर्व्यवहार को रोकने या किसी न्यायालय के प्रक्रिया या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित रखने के वास्ते हालांकि किसी भी सटीक स्पष्टतः परिभाषित एवं पर्याप्त रूप से व्यवस्थित एवं लचीले दिशा-निर्देशों को निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है या कठोर सूत्र और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।*
>
> *(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।*
>
> *(2) जहां प्रथम सूचनादाता रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।*
>
> *(3) जहाँ प्राथमिकी में बनाए गए निर्विवाद आरोपों या शिकायत उसके समर्थन में, अस्वीकृत अपराध के कार्यान्वयन में समर्थन में खुलासा नहीं करते हैं एवं अभियुक्त के विरूद्ध एक वाद नहीं बनाता है।*

(4) जहाँ, प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध गठित नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध है, संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभाव्य हों कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता के किसी भी प्रावधानों में कोई स्पष्ट कानूनी रोक या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक अपराधिक प्रक्रिया संस्थापित की जाती है) किसी संस्थान को एवं प्रक्रिया एवं प्रक्रिया और/या जहां संहिता में एक विर्शिष्ट प्रावधान या संबंधित अधिनियम, जहां प्रभावी प्रावधान व्यथित पक्ष के प्रावधान को ठीक कर देती है।

(7) जहां एक अपराधिक प्रक्रिया बदनीयत से अभिव्यक्त किया जाता है एवं/ या जहां प्रक्रिया दुर्भावपूर्ण रूप से अप्रत्यक्ष उद्देश्य से अभियुक्त पर प्रतिहिंसा में तेज थी एवं उन पर विद्वेष उनके निजी या व्यक्तित वैमनस्य हेतु।

7. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को देखते हुए, ऐसी प्रतीत होतो है कि याचिकाकर्ता नं.1, शिकायतकर्ता के भाई के खिलाफ वैवाहिक कलह के लिए एक पुलिस मामला दर्ज किया है, जिसके जवाब में वर्तमान परिवाद वाद दाखिल किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हमले और दुर्व्यवहार के संबंध में आरोप बहुत सामान्य और सर्वव्यापी दिखाई दे रहे हैं, जबकि शिकायत याचिका के माध्यम से उठाए गए मुख्य आरोप, विशेष रूप से घर में अतिक्रमण के बारे में, *प्रथम दृष्टया,* विद्वत निचली अदालत द्वारा अविश्वास पाया गया था। तदनुसार, पैरा 1,5 एवं 7 में उल्लिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए। **भजन लाल मामले (उपरोक्त)** के द्वितीय श्रेणी जमुई के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित 2015 के शिकायत मामला संख्या 20सी में पारित याचिकाकर्ताओं की परिणामी कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और ख़ारिज कर दिया जाता है।

8. आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9. इस आदेश की एक प्रति तुरंत विद्वत विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस.त्रिपाठी-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।